धारा .... बनाम ....

.... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13.7.24	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। दोनों द्वारा पत्रावली का राजीनामा तस्दीक किया गया, वकील वादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तकमीना खर्चा आदि, तथा वकील पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा के आधार पर लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर डि.पत्र. बनाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Sd/-

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 151 / 2020 तारीख दायरा 17.03.2020

उनवान

1. अनिता बाई पत्नी नरोत्तम जाति धाकड,
2. बरजीबाई पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति धाकड,
3. सुगनाबाई पत्नी रामेश्वर जाति धाकड निवासीगण ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा।

– वादीगण

बनाम

1. उग्रसेन पुत्र शिवनारायण जाति किराड निवासी ग्राम डोबडी हाल निवासी म0 न0 65 गणेश नगर कोटा जिला कोटा।
2. भीमराज पुत्र शिवनारायण जाति किराड निवासी ग्राम डोबडी तह0 सांगोद
3. मनोज कुमार पुत्र शिवनारायण जाति किराड निवासी ग्राम डोबडी तहसील सांगोद हाल निवासी भनक्याखेडी सारोला तहसील खानपुर जिला झालावाड
4. सुमित्राबाई पुत्री शिवनारायण पत्नी सीताराम जाति किराड निवासी चमलासा तहसील खानुपर जिला झालावाड
5. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री अशोक जैन (वकील वादी)

दिनांक :– 13.07.2024

श्री मोहनलाल पोटर (प्रतिवादीगण)

––निर्णय––

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण की प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के साथ संयुक्त खाते की ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद जिला कोटा मे खसरा न0 660 की 0.40 हेक्टर, खसरा न0 662 की 1.93 हेक्टर, खसरा न0 664 की 0.06 हेक्टर, खसरा न0 665 की 0.08 हेक्टर, खसरा न0 679 की 0.86 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 5 की कुल 3.33 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है, जिसमें राजस्व रेकार्ड अनुसार वादीनी क्रम 1 का हिस्सा 5168/22295, वादीनी क्रम 2 का हिस्सा 272/1715 व वादीनी क्रम 3 का हिस्सा 272/1715 है, जिसको वादीनीगण मौके पर शांति पूर्वक उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त कृषि भूमि का समस्त खातेदारान ने मौके पर वर्षो पूर्व से आपसी सहमति से विभाजन किया हुआ है। वादीगण ने उनके हिस्से में दर्ज भूमियों को पूर्व खातेदारों से पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा क्रय किया हुआ है तथा वे क्रय की हुई भूमि पर वक्त खरीद से ही काबिज है। वादीगण ने पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 22.04.2015 के द्वारा तत्कालीन खातेदार प्रेमशंकर, केसरबाई का सम्पूर्ण हिस्सा एवं खातेदार बद्रीलाल व उग्रसेन का प्रत्येक का 34/245 वां हिस्से का 5/7 हिस्सा अर्थात प्रत्येक का कुल का 170/1715 वां हिस्सा, इसी प्रकार पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 15.06.2016 के द्वारा वादीनी क्रम 1 ने खातेदार बद्रीलाल का शेष रहा सम्पूर्ण हिस्सा तथा पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 12.07.2016 के द्वारा खातेदार उग्रसेन के 68/1715 का 11/13 वां हिस्सा अर्थात कुल आराजी का 748/22295 वां हिस्सा वादीनी क्रम 1 ने खरीद किया है। इस प्रकार वादीगण ने कुल 36720/66885 वां हिस्सा कुल कृषि भूमि 3.33 हेक्टर का खरीद किया है, जो कि लगभग 1.82 हेक्टर होता है। वादीगण ने जिन खातेदारों से भूमि क्रय की है, उन्होने वादीगण को मौके पर खसरा न0 660 की 0.40 हेक्टर सम्पूर्ण व खसरा न0 662 की 0.56 हेक्टर दक्षिणी पश्चिमी व खसरा न0 679 की 0.86 हेक्टर इस प्रकार कुल 1.82 हेक्टर कृषि भूमि पर कब्जा संभलाया हुआ है, जिसे वादीगण उपयोग उपभोग कर रहे हैं।

उक्त खरीदशुदा 1.82 हेक्टर भूमि मे पंजीकृत विक्रय विलेख से की गई खरीद के अनुसार वादीनी क्रम 1 ने 0.78 हेक्टर भूमि जो कि, वादीनी क्रम 2 ने 0.52 हेक्टर व वादीनी क्रम 3 ने 0.52 हेक्टर जो कि हिस्से अनुसार क्रमशः 3/7, 2/7, 2/7 होती है, खरीद की है। वादीगण उक्त हिस्से अनुसार ही बाद विभाजन कृषि भूमि को अपने खाते दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। वादीगण के द्वारा खरीदशुदा भूमि मौके पर शांति पूर्वक उनके उपयोग उपभोग में है, परन्तु उनका व प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 4 का खाता अभी भी शामलाती दर्ज है तथा खाता शामलाती होने की वजह से वादीगण को उनके कब्जे की भूमि में विकास

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

कार्य करने मे परेशानियों का सामना करना पडता है। वादीगण तथा प्रतिवादीगण ने विभाजन हेतु लेण्ड होल्डर महोदय से भी सहमति प्राप्त नहीं की है, विधिक रूप से अभी भी वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का उक्त भूमि में प्रत्येक इन्च भूमि पर हक व हिस्सा है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि उक्त कृषि भूमियों का मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन करवा लेते है, परन्तु प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 वादीगण के निवेदन को अनसुना कर रहे है, इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि उक्त कृषि भूमियों का विभाजन करवा करके वादीगण के हिस्से में आने वाली कृषि भूमियों के बाबत खातेदारी घोषणा की सहायता भी माननीय न्यायालय से प्राप्त कर ले।

उक्त वाद पत्र प्रस्तुत होने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की तलबी हो चुकी है। प्रतिवादी न0 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन लाल पोटर द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी न0 5 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। उक्त प्रकरण मे पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर दिनांक 12.07.2024 को राजीनामा पेश किया तथा खातेदार दाखांबाई की मृत्यु होना जाहिर करते हुए कथन किया कि वे मुताबिक राजीनामा वाद का निस्तारण करवाना चाहते है। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा तथा प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा सरे इजलास पढकर सुनाया गया, किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 4 के द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है इस कारण प्रकरण में तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 5 फार्मल पक्षकार है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, जमाबंदी, राजीनामा आदि के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि –

माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद में स्थित खसरा न0 679 की 0.86 हेक्टर, खसरा न0 660 की 0.40 हेक्टर व खसरा न0 662 की 1.93 हेक्टर में से 0.56 हेक्टर दक्षिणी पश्चिमी दिशा इस प्रकार कुल किता 3 की कुल 1.82 हेक्टर आराजी में वादीनी अनीताबाई को हिस्सा 3/7, वादीनी बरजीबाई को हिस्सा 2/7, वादीनी सुगनाबाई को हिस्सा 2/7का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद में स्थित खसरा न0 664 की 0.06 हेक्टर भूमि, खसरा न0 665 की 0.08 हेक्टर व खसरा न0 662 की 1.93 हेक्टर में से 1.37 हेक्टर उत्तर पूर्वी इस

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

प्रकार कुल किता 3 की 1.51 हेक्टर आराजी में प्रतिवादी न0 1 उग्रसेन को 4/151 हिस्सा, प्रतिवादी न0 2 भीमराज को हिस्सा 49/151, प्रतिवादी न0 3 मनोज कुमार को हिस्सा 49/151, प्रतिवादी न0 4 सुमित्राबाई को 49/151 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्तानुसार कृषि भूमियों का विभाजन किया जाकर राज लगान का अंकन पृथक–पृथक किये जावे। उक्त के अनुक्रम मे वादीनीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का नाम पृथक–पृथक रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथम होने के कारण विवादित आराजी के रहन भार से मुक्त होने पर ही आदेश की पालना की जावे। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। वाद व्यय वादी स्वंय वहन करे।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 13.07.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner